श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, 1988

(1988 का अधिनियम संख्यांक 51)

[24 सितंबर, 1988]

श्रम संबंधक में व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापनों के संबंध में कतिपय श्रम विधियों के अधीन विवरणी देने और रजिस्टर रखने से नियोजकों को छूट देने का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, 1988 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परंतु बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) के संबंध में इस अधिनियम की कोई बात जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होगी ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति इस अधिनियम के किसी

उपबंध में किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियोजन" का, उस अनुसूचित अधिनियम के संबंध में जो ऐसे पद की परिभाषा करता है, वही अर्थ है जो उसका उस अधिनियम में है और किसी अन्य अनुसूचित अधिनियम के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे उस अधिनियम के अधीन विवरणी देने या रजिस्टर रखने की अपेक्षा की जाती है ;

(ख) "स्थापन" का वही अर्थ है जो उसका किसी अनुसूचित अधिनियम में है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है :—

(i) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई "औद्योगिक या अन्य स्थापन" ;

(ii) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई "कारखाना" ;

(iii) ऐसा कोई कारखाना, कर्मशाला या स्थान जहां कर्मचारियों को ऐसे किसी अनुसूचित नियोजन में, जिसको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है, नियोजित किया जाता है या कर्मकारों को काम दिया जाता है ;

(iv) बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई "बागान" ; और

(v) अनजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई "समाचारपत्र स्थापन" ;

(ग) "प्ररूप" से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "अनुसूचित अधिनियम" से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम अभिप्रेत है और जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर ऐसे राज्य-क्षेत्रों में प्रवृत्त है जिन पर ऐसे अधिनियम का साधारणतः विस्तार है और इसके अंतर्गत उसके अधीन बनाए गए नियम हैं ;

(ङ) "लघु स्थापन" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जिसमें दस से अन्यून और उन्नीस से अनधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी दिन नियोजित थे;

(च) "अति लघु स्थापन" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जिसमें नौ से अनधिक व्यक्ति नियोजित हैं या किसी पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी दिन नियोजित थे ।

3. कतिपय श्रम विधियों का संशोधन—अनुसूचित अधिनियम, इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे ।

4. कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपेक्षित विवरणियों और रजिस्टरों से छूट—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, किसी ऐसे लघु स्थापन या अति लघु स्थापन के संबंध में, जिसको कोई अनुसूचित अधिनियम लागू होता है, ऐसी विवरणियां देना या रजिस्टर रखना, जो उस अनुसूचित अधिनियम के अधीन दी जाने या रखे जाने के लिए अपेक्षित है, किसी नियोजक के लिए आवश्यक नहीं होगा :

परंतु यह तब जब ऐसा नियोजक,—

(क) ऐसी विवरणियों के बदले में प्ररूप 'क' में एक आंतरिक विवरणी देता है ;

(ख) ऐसे रजिस्टरों के बदले में,—

(i) लघु स्थापनों की दशा में, प्ररूप ङ, प्ररूप ग, और प्ररूप घ में रजिस्टर रखता है ; और

(ii) अति लघु स्थापनों की दशा में, प्ररूप ङ में रजिस्टर रखता है :

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक नियोजक,—

(क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 18 और धारा 30 के अधीन बनाए गए न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 में विहित प्ररूप में मजदूरी पर्चियां और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 13क और धारा 28 के अधीन बनाए गए मजदूरी संदाय (बीमा) नियम, 1956 के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित मासानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मकारों द्वारा किए गए काम की मात्रा के आपमान से संबंधित पर्चियां देता जारी रखेगा; और

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 88 और धारा 88क और बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 32क और धारा 32ख के अधीन दुर्घटनाओं से संबंधित विवरणियां फाइल करता रहेगा ।

(2) उपधारा (1) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी अनुसूचित अधिनियम के सभी अन्य उपबंध, जिनके अंतर्गत विशेष रूप से उक्त अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों द्वारा रजिस्टरों का निरीक्षण और उनकी रजिस्टरों की प्रतियों का दिया जाना भी है, इस अधिनियम के अधीन दी जाने या रखे जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों और रजिस्टरों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस अनुसूचित अधिनियम के अधीन विवरणियों और रजिस्टरों को लागू होते हैं ।

(3) जहां कोई नियोजक किसी ऐसे लघु स्थापन या अति लघु स्थापन के संबंध में जिसको कोई अनुसूचित अधिनियम लागू होता है, उपधारा (1) के परंतुक में उपबंधित विवरणी देता है या रजिस्टर रखता है, वहां उस अनुसूचित अधिनियम की कोई बात अनुसूचित अधिनियम के अधीन कोई विवरणी देने या कोई रजिस्टर रखने में उसकी असफलता के लिए उसे किसी शास्ति का भागी नहीं बनाएगी ।

5. व्यावृत्ति—इस अधिनियम के प्रारंभ का निम्नलिखित, अर्थात् :—

(क) किसी अनुसूचित अधिनियम के किसी उपबंध के पूर्वतर प्रवर्तन या सुसंगत अवधि से पूर्व उस उपबंध के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर;

(ख) सुसंगत अवधि के पूर्व, किसी अनुसूचित अधिनियम के अधीन पहले ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर ;

(ग) सुसंगत अवधि के पूर्व, किसी अनुसूचित अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत या अधिरोपित किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर ;

(घ) उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर,

कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार उस अनुसूचित अधिनियम के अनुसार ही संस्थित किया जाएगा, जारी रखा जाएगा या निपटाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "सुसंगत अवधि" पद से वह अवधि अभिप्रेत है, जिसके दौरान कोई स्थापन इस अधिनियम के अधीन कोई लघु स्थापन या अति लघु स्थापन है या था ।

6. शास्ति—वह नियोजक जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, दोषसिद्धि पर—

(क) प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ; और

(ख) किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी किंतु जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

7. प्ररूप का संशोधन करने की शक्ति—(1) यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, किसी प्ररूप का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि ऐसा प्ररूप उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तद्नुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, यदि वह सत्र में है तो, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र और यदि वह सत्र में नहीं है तो उसके पुनः समवेत होने के सात दिन के भीतर रखी जाएगी और केंद्रीय सरकार उस तारीख के, जिस तारीख को यह अधिसूचना इस प्रकार लोक सभा के समक्ष रखी जाती है, प्रारंभ से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर एक संकल्प के प्रस्ताव द्वारा अधिसूचना पर संसद् का अनुमोदन प्राप्त करेगी और यदि संसद्, अधिसूचना में कोई परिवर्तन करती है या यह निदेश देती है कि अधिसूचना निष्प्रभाव हो जानी चाहिए तो, यथास्थिति, वह अधिसूचना तदुपरि ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभावी हो जाएगी किंतु इससे उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो, केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, उस तारीख से जिसको इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

पहली अनुसूची

[धारा 2(ख) देखिए]

(1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) ।

(2) साप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम, 1942 (1942 का 18) ।

(3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) ।

(4) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) ।

(5) बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) ।

(6) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) ।

(7) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) ।

(ii) निष्क्रय संगठन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) ।

(9) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 2(घ) देखिए]

प्ररूप क

[धारा 4(1) परंतुक (घ) देखिए]

ऐतिहासिक विवरणी

31 दिसंबर, ... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरणी

(नए स्थापनों और प्रति वर्ष स्थापनों द्वारा उत्तरवर्ती वर्ष की 15 फरवरी को या उसके पूर्व दी जानी चाहिए) ।

1. (क) स्थापना का नाम और डाक का पता ।

(ख) नियोजक का नाम और निवासीय पता ।

(ग) स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक या व्यक्ति का नाम और निवासीय पता ।

(घ) ठेकेदार के स्थापन की दशा में प्रधान नियोजक का नाम ।

(ङ) स्थापन के कारबार की प्रकृति ।

जलाई या पक्की ईंटें या जलाए या कोई उद्योग/संकर्म की प्रकृति

2. (क) वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या ।

(ख) वर्ष के दौरान किए गए कार्य के श्रमिक दिनों की संख्या ।

(ग) दैनिक काम के घंटे ।

(घ) साप्ताहिक अवकाश दिन ।

3. (क) वर्ष के दौरान नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या :

(i) पुरुष ।

(ii) महिला ।

(iii) कुमार (वे जिन्होंने चौदह वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है) ।

(iv) बालक (जिन्होंने चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है) ।

(ख) वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या ।

(ग) वर्ष के दौरान सेवोन्मोचित, पदच्युत, छंटनी किए गए कर्मकारों या उन कर्मकारों की संख्या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी ।

4. मजदूरी की दरें---वर्गवार

(1) पुरुष (2) महिला (3) कुमार

(4) बालक ।

5. संदत्त कुल मजदूरी :

(क) नकदी में ।

(ख) वस्तु रूप में ।

6. कटौतियां :

(क) जुर्माने ।

(ख) नुकसान या हानि के लिए कटौतियां ।

(ग) अन्य कटौतियां ।

7. उन कर्मकारों की संख्या जिनको वर्ष के दौरान मजदूरी सहित छुट्टी दी गई थी ।

8. उपलब्ध कराई गई कल्याण संबंधी सुख-सुविधाओं की प्रकृति : कानूनी (कानून का उल्लेख करें) ।

9. क्या स्थापन कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्थ में, कोई परिसंकटमय प्रक्रिया या खतरनाक संक्रिया चलाता है । यदि हां, तो ब्यौरे दें ।

10. दुर्घटनाओं की संख्या :

(क) घातक ।

(ख) अघातक ।

11. उन सुरक्षा उपायों की प्रकृति, जिनकी व्यवस्था की गई है, जो कारखाना अधिनियम के अधीन अपेक्षित हैं ।

नियोजक के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम

तारीख ——————————

स्थान ——————————

प्रपत्र ख

[धारा 4(1) परंतुक (ख)(i) देखिए]

अनु स्थापनों द्वारा रखा जाने वाला मजदूरी रजिस्टर

(मजदूरी अवधि की समाप्ति के बाद दिन के भीतर पूरा कर लिया जाए)

स्थापन का नाम ..... नियोजक का नाम और पता.....

पता (स्थानीय) ..... काम का स्वरूप .....

(स्थायी) ..... मजदूरी कालावधि .....

क्रम सं०	नियोजक का नाम	स्त्री/पुरुष	पदनाम	वर्गीकरण क्या स्थायी/अस्थायी/आकस्मिक/संविदात्मक है या किसी अन्य प्रकार का है	पिता या पति का नाम	किए गए काम के कुल दिन घंटों की सं०	उपार्जित मजदूरी: साधारण मजदूरी (कानूनी वास्तव-न्यूनतम दिन दर)	महंगाई भत्ता	अतिकाल भत्ता	बोनस या अनुग्रह राशि	प्रसुविधा	उपहार	कोई अन्य भत्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

उपार्जित मजदूरी			कटौतियां										
कुल रकम	अग्रिम	उपेक्षा या व्यतिक्रम से नुकसान या हानि के कारण जुर्माना	भविष्य निधि: नियोजक का अभिदाय	भविष्य निधि: कर्मचारियों का अभिदाय	कर्मचारी राज्य बीमा: नियोजक का अभिदाय	कर्मचारी राज्य बीमा: कर्मचारियों का अभिदाय	अन्य कटौतियां और उनकी प्रकृति	कुल कटौतियां	शुद्ध देय रकम	कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान और तारीख	नियोजक के हस्ताक्षर और तारीख	टिप्पणियां
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

टिप्पणी :—1. किसी कर्मचारी द्वारा लिए गए किसी अग्रिम की कटौती की दशा में, नियोजक उसमें संवत्त की गई किस्तों की संख्या/कुल किस्तें भी उपदर्शित करेगा जिनमें अग्रिम का प्रतिसंदाय किया जाना है, जैसे, "5/20, 6/20" आदि । अग्रिम देने के प्रयोजन का भी टिप्पणियों वाले स्तंभ में उल्लेख किया जाएगा ।

2. नुकसान या हानि के कारण जुर्माने या कटौती अधिरोपित किए जाने की दशा में, वह विनिर्दिष्ट कार्य या लोप जिसके लिए शास्ति अधिरोपित की गई है, टिप्पणियों वाले स्तंभ में उपदर्शित करना होगा । उक्त स्तंभ में इस आशय का एक प्रमाणपत्र भी अभिलिखित किया जाएगा कि जुर्माने या कटौती के अधिरोपण से पूर्व संबंधित कर्मचारी को हेतुक दर्शित करने का अवसर दिया गया था ।

तारीख.....

स्थान.....

नियोजक के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम

प्रपत्र ब

[धारा 4(1) मजदूर (ख)(i) देखिए]

लघु स्थापनों द्वारा रखे जाने वाले मस्टर रोल

स्थापन का नाम ..... नियोजक का नाम और पता .....

पता (स्थानीय) ..... मजदूरी काल अवधि .....

(स्थायी) .....

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	नियोजन की तारीख	स्थायी पता	बन्धु का नाम तिथि	पिता का नाम	..... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए ... के दौरान किए गए कार्य के यूनिटों की संख्या	कुल हाजिरी
1	2	3	4	5	6	7	8

कुल अतिकाल जिसके लिए कार्य किया गया	मजदूरी वाले कर्मचारी की दशा में कुल उत्पादन	प्रतिकरात्मक विश्राम दिन			टिप्पणियां
		पूर्व मजदूरी काल अवधि से अग्रनीत किया गया	मजदूरी अवधि के दौरान दिया गया	नियोजक के हस्ताक्षर और तारीख	
9	10	11	12	13	14

टिप्पण :—1. दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी की दशा में, प्रत्येक अवसर पर किए गए अतिकाल कार्य की अवधि को प्रत्येक संबद्ध तारीख के सामने दिखाया जाना चाहिए जैसे "उप०/1", अर्थात् "एक घंटे के अतिकाल में उपस्थित" "उप०/1½" अर्थात् "डेढ़ घंटे के अतिकाल, में उपस्थित" और आगे इसी प्रकार है।

2. मजदूरी वाले कर्मचारी को मजदूरी भुगतान करने वाले किसी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य यूनिटों की संख्या, रजिस्टर में प्रति दिन उपस्थिति की प्रविष्टि किसी बालक/कुमार के नियोजन की दशा में, नियोजक प्रत्येक दिन विश्राम के अंतरालों सहित कार्य की अवधि उपदर्शित करेगा।

3. कर्मचारी द्वारा उपयोग में लाए गए प्रतिकरात्मक विश्राम को रजिस्टर में लाल स्याही से "प्र०वि०" के रूप में दिखाया जाएगा।

4. स्तंभ 7 प्रत्येक कार्य दिवस को भरा जाएगा और शेष स्तंभ मजदूरी अवधि की समाप्ति के बाद दिन के भीतर पूरे किए जाएंगे।

तारीख .....

नियोजक के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम।

स्थान .....

प्रपत्र घ

[धारा 4(1) परंतुक (घ)(i) देखिए]

लघु स्थापनों द्वारा रखा जाने वाला कल्याण संबंधी सुख-सुविधाओं वाला मासिक रजिस्टर

स्थापन का पता : स्थानीय.....

(स्थायी).....

नियोजक का नाम और पता .... के मास के लिए

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	स्त्री/पुरुष	पदनाम	साप्ताहिक विश्राम दिवस	त्योहारों या वैसे ही अन्य अवसरों के लिए अवकाशों की तारीखें	कर्मचारियों द्वारा ली गई आकस्मिक छुट्टी की संख्या	अनुज्ञप्त वार्षिक छुट्टी की संख्या	शोधन की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9

क्या निम्नलिखित कल्याण संबंधी सुख-सुविधाएं दी गईं			क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या किसी अन्य विशिष्ट प्रवर्ग के हैं	नियोजक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां	निरीक्षण के हस्ताक्षर और तारीख
विश्राम कक्ष	पेय जल	प्राथमिक उपचार				
10	11	12	13	14	15	16

टिप्पण :—इसे प्रत्येक कलैंडर मास की समाप्ति के सात दिन के भीतर पूरा किया जाए ।

तारीख : .....

स्थान : .....

नियोजक के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम

प्ररूप ङ

[धारा 4(1) परंतुक (ख)(ii) देखिए]

अति लघु स्थापन द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित मस्टर रोल और मजदूरी का मासिक रजिस्टर

वर्ष.....

मास.....

या मजदूरी कालावधि (जहां भिन्न-भिन्न हो)

स्थापन का नाम .....

कर्मचारी का नाम.....पिता का नाम .....

कार्य की प्रकृति.....मजदूरी की दर .....

मजदूरी की अवधि.....नियोजन की तारीख .....

तारीख	काम के घंटे		विश्राम और भोजन के लिए अंतराल		नियोजक के साथ कितने घंटे काम किया गया	अतिकाल		मास/मजदूरी अवधि के दौरान की गई आकस्मिक या बीमारी छुट्टी
	से	तक	से	तक		कितने घंटे काम किया गया	उपार्जित मजदूरी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विशेषाधिकार छुट्टी			नियोजक के हस्ताक्षर	नियोजक की टिप्पणियां	देय पारिश्रमिक			
शेष छुट्टी	ली गई छुट्टी	शेष			आधारिक वेतन या मजदूरी	अतिकाल	अन्य भत्ते यदि कोई हैं	कुल
10	11	12	13	14	15	16	17	18

कटौतियां							
उपेक्षा या व्यतिक्रम से नुकसान या अन्य हानि के कारण जुर्माने और कटौतियां	कटौतियां	संदत्त अग्रिम, यदि कोई है तारीख	रकम	कुल	[illegible] की मूल रकम	[illegible] की तारीख	नियोजक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	निरीक्षक के हस्ताक्षर और टिप्पणियां यदि कोई हों तथा तारीख
19	20	21	22	23	24	25	26	27

टिप्पण :—स्तंभ 1 से स्तंभ 12 तक प्रत्येक मास दिवस को भरे जाएंगे और शेष स्तंभ मंजूरी अवधि की समाप्ति के सात दिन के भीतर पूरे किए जाएंगे ।

तारीख.....

स्थान.....

नियोजक के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम

राष्ट्रपति ने लेबर लाज (एक्सेंप्शन फ्राम फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाई सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स) ऐक्ट, 1988 के उपर्युक्त हिंदी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।
Secretary to the Government of India.